हिमाचल प्रदेश सरकार कार्मिक विभाग (नि0-।।।)

संख्याः पीईआर (एपी)—सी–ए (3)–2/2016. तारीख शिमला–2, 24–07–2017

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में लिपिक, वर्ग—III, (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं के पद के लिए, इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध—"क" के अनुसार, सामान्य भर्ती और प्रोन्नित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः—

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना।	1.	(1)	इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, लिपिक, वर्ग—III, (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नित नियम, 2017 है।
		(2)	ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
		(3)	ये नियम, विधान सभा सचिवालय, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के सिवाय हिमाचल प्रदेश के समस्त सरकारी विभागों को लागू होंगे।
निरसन और व्यावृत्तियां।	2.	(1)	इस विभाग की अधिसूचना संख्याः पी०ई०आर० (ए०पी०)—सी० ए (3)—7/2011 तारीख 15 मई, 2014 द्वारा अधिसूचित और तारीख 29 मई, 2014 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में यथा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, लिपिक, वर्ग—III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नित नियम, 2014 का एतद् द्वारा, निरसन किया जाता है।
		(2)	ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

तरुण श्रीधर अति० मुख्य सचिव (कार्मिक), हिमाचल प्रदेशे सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में लिपिक वर्ग-III (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं के पदों के लिए सामान्य भर्ती और प्रोन्नित नियम

1. पद का नाम :

लिपिक

2. पदों की संख्या :

जैसे सम्बद्ध विभागों में सरकार द्वारा समय—समय पर मंजूर किए गए हैं और मंजूर किए जांए।

3. वर्गीकरण :

वर्ग—III (अराजपत्रित) (लिपिक वर्गीय सेवाएं)

4. वेतनमान :

- (1) नियमित (पदधारियों) के लिए पे बैण्ड :
 - (i) पे बैण्ड ₹ 5910—20200 / जमा ₹ 1900 / — ग्रेड पे।

 - (iii) संवर्ग में लिपिक के रुप में न्यूनतम पांच वर्ष के सेवाकाल के पश्चात संवर्ग में लिपिकों के पदों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत को पे बैण्ड ₹ 10300-34800/- जमा ₹ 3600/-ग्रेड पे दिया जाएगा और इन पदों के पदधारियों को स्थानन द्वारा कनिष्ठ सहायक के रुप में पदाभिहित किया जाएगा।
 - (iv) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियां: स्तम्भ संख्या: 15—क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ₹ 7810/— प्रतिमास।
- 5. ''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पद : अचयन।
- 6. सीधी भर्ती के लिए आयु :

18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी:

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातियों / अन्य पिछडा वर्गो और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है:

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गढन के समय पब्लिक सेक्टर निगमों /स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों /स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों /स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे /किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों /स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गढन के पश्चात् ऐसे निगमों /स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं /िकए गए थे।

टिप्पणीः सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को, यथास्थिति, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया हैं।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले क) अनिवार्य अर्हताः व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए

अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं :

(i)

- किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड / विश्वविद्यालय से दस जमा दो की परीक्षा पास होनी चाहिए या या इसके समतुल्य।
- (ii) कम्पयूटर पर अंग्रेजी टंकण में कम से कम तीस शब्द प्रति मिनट या हिन्दी टंकण में पच्चीस शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो:

परन्तु एक प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत भर्ती किए गए दृष्टि बाधित व्यक्तियों को टंकण परीक्षा पास करने के बजाय, सम्बद्ध विभागों द्वारा कम्पोजिट क्षेत्रीय केन्द्र (सीआरसी), सुन्दरनगर या एन०आई०वी०एच०, देहरादून या सी०टी०सी० लुधियाना के माध्यम से कम्पयूटर प्रशिक्षण सिंहत आवश्यक बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें उपरोक्त प्रशिक्षण को पूर्ण करना होगा जिसके लिए उन्हें तीन अवसर प्रदान किए जाएंगे। यदि कोई पदधारी उसे अर्हित करने में असफल रहता/रहती है तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। तथापि, उन पदधारियों को जो पहले से ही सरकारी सेवा में हैं पूर्वोक्त प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए अवसरों की पर्याप्त संख्या प्रदान की जाएगी:

परन्तु यह और कि शारीरिक रुप से नि:शक्तता वाले व्यक्तियों, जो लिपिकीय पद धारण करने के लिए चिकित्सा बोर्ड द्वारा टंकण करने के लिए असमर्थ प्रमाणित किए जाने पर भी अन्यथा अर्हित हैं, को टंकण परीक्षा उर्तीण करने में छूट दी जा सकेगी। शारीरिक रुप से निशक्तता वाले व्यक्तियों के अर्न्तगत, वे व्यक्ति नहीं आते हैं जो दृष्टि बाधित या श्रवण बाधित हैं किन्तु इसके अर्न्तगत वे व्यक्ति ही आते हैं जिनकी शारीरिक निशक्तता/विकृति स्थायी रूप से उन्हें टंकण करने से निवारित करती है।

टंकण परीक्षा उतीर्ण करने से छूट प्रदान करने के लिए उपरोक्त मानदण्ड कम्प्यूटरों पर दक्षता परीक्षण मानकों के लिए भी लागू होगा।

- (iii) भर्ती प्राधिकरण द्वारा यथाविहित कम्पयूटर पर 'शब्द प्रसंस्करण' का ज्ञान रखता हो।
- (ख) <u>वांछनीय अर्हता (एं) :</u>
 हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

लागू नहीं

आयु

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता (अर्हताएं) प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं :

शैक्षिक अर्हताएं : हाँ। जैसी उपरोक्त स्तम्भ संख्या–7 और नीचे स्तम्भ संख्या 11 में विहित हैं।

- 9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो :
- सीधी भर्ती / प्रोन्नित की दशा में:

10. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकण्डमैंट स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता :

- (क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।
- (ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी।
- (i) सत्तर प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।
- (ii) बीस प्रतिशत हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा संचालित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से दस जमा दो की अर्हता रखने वाले नियमित वर्ग—IV कर्मचारियों में से सीमित सीधी भर्ती द्वारा जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या दैनिक भोगी या संविदा के आधार पर की गई लगातार सेवा को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थित, नियमित आधार

पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

- (iii) दस प्रतिशत प्रोन्नित द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।
- ग्रीन्नित, सैकण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड), जिनसे प्रोन्नित / सैकण्डमैट / स्थानान्तरण किया जाएगा :
- बीस प्रतिशत हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन (i) आयोग, हमीरपुर द्वारा संचालित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से. दस जमा दो की अर्हता रखने वाले नियमित वर्ग-IV कर्मचारियों में से सीमित सीधी भर्ती द्वारा जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या दैनिक भोगी या संविदा के आधार पर की गई लगातार सेवा को सम्मिलित करके पांच वर्ष का हो। नियमित सेवाकाल वर्ग-IV पात्र कर्मचारियों को कर्मचारी चयन हमीरपुर द्वारा संचालित की जाने वाली अंग्रेजी टंकण में कम से कम पच्चीस शब्द प्रति मिनट या हिन्दी टंकण में कम से कम बीस शब्द प्रति मिनट की गति के साथ कम्पयूटर पर टंकण परीक्षा भी पास करनी होगी।
- (ii) दस प्रतिशत वर्ग—IV कर्मचारियों में से प्रोन्नित द्वारा, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड / विश्वविद्यालय से दस जमा दो की परीक्षा पास की हो या इसके समतुल्य हो और जिनका

पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो:

परन्तु, ऐसे वर्ग—IV कर्मचारियों, जिनके पास दसवीं या इसके समतुल्य अर्हता है और जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात् वर्ग—IV के संवर्ग में थे, को दस प्रतिशत कोटा के विरुद्ध लिपिक के पद पर प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा:

परन्तु यह और कि लिपिक के रूप में प्रोन्नत ऐसे सभी वर्ग—IV कर्मचारियों को परिवीक्षा अविध के भीतर कम्पयूटर पर अंग्रेजी टंकण में कम से कम पच्चीस शब्द प्रति मिनट की गित से या हिन्दी टंकण में बीस शब्द प्रति मिनट की गित से या हिन्दी टंकण में बीस शब्द प्रति मिनट की गित से कम्पयूटर पर टंकण परीक्षा, पास करनी होगी, जो सम्बद्ध विभागों द्वारा संचालित की जाएगी और पदधारियों को परिवीक्षा अविध के दौरान तीन अवसर प्रदान किए जाएंगे। यदि अभ्यर्थी विहित अविध के भीतर टंकण परीक्षा उतीर्ण करने में असफल रहता है तो उसकी परिवीक्षा अविध बढ़ा दी जाएगी। इस अविध के दौरान, पदधारियों को एक और अवसर दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी बढ़ाई गई अविध में भी टंकण परीक्षा पास करने में

असफल रहता है, तो वह लिपिक से वर्ग-IV के पद पर प्रत्यावृत कर दिया जाएगा।

प्रोन्नित के प्रयोजन के लिए पात्र वर्ग—IV कर्मचारियों की उनके सेवाकाल के आधार पर उनकी संवर्गवार पारस्परिक वरिष्ठता को छेड़े बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूची विहित की जाएगी:

परन्तु लिपिक के पदों को भरने के लिए निम्नलिखित दस बिन्दु भर्ती रोस्टर का अनुसरण किया जाएगा:-

रोस्टर बिन्दु संख्या	प्रवर्ग
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठवां,	सीधी भर्ती द्वारा
सातवां, आठवां	
पांचवां और दसवां	सीमित सीधी भर्ती द्वारा
नौवां	प्रोन्नति द्वारा

टिप्पण:— रोस्टर प्रत्येक दसवें बिन्दु के पश्चात् तब तक दोहराया जाता रहेगा जब तक कि दी गई प्रतिशतता तक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता है उसके पश्चात् रिक्त बिन्दु को क्रमशः उसी प्रवर्ग से भरा जाएगा जिससे बिन्दु सम्बन्धित है।

(I) परन्तु प्रोन्नित के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय / दुर्गम / किंवन और दूरस्थ / ग्रामीण क्षेत्रों में पद(पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी:

परन्तु यह और कि उपरोक्त परन्तुक (1) दूरस्थ / ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती स्थानान्तरण के सिवाय उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष की या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति की दशा में लागू नहीं होगीः

परन्तु यह और भी कि उस कर्मचारी का जिसनें जनजातीय/दुर्गम/किवन और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा उसकी विरष्टता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण **I**: — उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय / दुर्गम / किंठन और दूरस्थ / ग्रामीण क्षेत्रों में "कार्यकाल" से साधारणतया तीन वर्ष की अविध या प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं / सुविधा को ध्यान में रखते हुए, ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अविध अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण II:- उपरोक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय / किंदिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:-

- 1. जिला लाहौल एवं स्पिति।
- 2. चम्बा जिला का पांगी और भरमीर उप-मण्डल।
- 3. रोहडू उपमण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।
- 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिश, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
- 5. जिला कुल्लू का पन्द्रह बीस परगना।
- कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप–मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
- 7. जिला किन्नौर।
- 8. सिरमौर जिला में, उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़—भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।
- मण्डी जिला में, करसोग तहसील का खनयोल—बगड़ा पटवार वृत, बाली चौकी उपतहसील के गाड़ा गुशैणी, मिठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल, पटवार वृत, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन,

देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिलह—भडवानी, हस्तपुर, घमरेहर और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चिउणी, कालीपार, मानगढ़, थाच—बगड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।

स्पष्टीकरण—III: उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए और दूरस्थ़ / ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:—

- (i) उप-मण्डल / तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान ।
- (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहाँ के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 (तीन) किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।
- (iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना अपने गृह नगर या गृह नगर क्षेत्र के साथ लगती 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।
- (II) प्रोन्नित के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्त से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नित के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नित, भर्ती और प्रोन्नित नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:
- (i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई किनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सिहत, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने—अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे विरष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय किनष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नित के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अईता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नित नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नित किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे किनष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नित के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएंगे।

<u>स्पष्टीकरणः</u>— अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत किनष्ठ पदधारी प्रोन्नित के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन—टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम—3 के उपबन्धों के अन्तर्गत् भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स—सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

(ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नित, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्निति नियमों के उपबंधों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उस के फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नित सिमिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना :13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों

भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाः विभागीय प्रोन्नति / स्थायीकरण समिति:-जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए। जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

- 14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा :
- किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
- 15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन :

सीधी भर्ती के मामलें में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण (मैरिट) तथा इन नियमों के साथ संलग्न परिशिष्ट—। में यथा विनिर्दिष्ट पद्वित के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण / प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों के साथ संलग्न परिशिष्ट—। में यथा विनिर्दिष्ट मूल्यांकन से पूर्व छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) व्यावहारिक परीक्षा, दक्षता परीक्षा अथवा शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर / पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग / अन्य भर्ती अभिकरण / प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

- 15—क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगीः—
 - (I) <u>संकल्पनाः</u>
 - (क) इस पॅालिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश......(विभाग का नाम) में लिपिक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा:

परन्तु संविदा अविध में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण—पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अविध नवीकृत / विस्तारित की जाएगी।

- (ख) विभाग का विभागाध्यक्ष (नियुक्ति प्राधिकारी का नाम), रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।
- (ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तो के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियांः

संविदा के आधार पर नियुक्त लिपिक को ₹7810/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चातवर्ती वर्ष / वर्षों के लिए संविदात्मक उपलिख्यों में ₹234/- (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारीः

विभागाध्यक्ष (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम), नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) <u>चयन प्रक्रियाः</u>

संविदा नियुक्ति के मामलें में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण (मैरिट) तथा इन नियमों के साथ संलग्न परिशिष्ट—। में यथा विनिर्दिष्ट पद्धित के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण / प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों के साथ संलग्न परिशिष्ट—। में यथा

विनिर्दिष्ट मूल्यांकन से पूर्व छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) व्यावहारिक परीक्षा, दक्षता परीक्षा अथवा शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) <u>संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिः</u>

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा समय—समय पर गठित की जाए।

(VI) करार:

अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट "II" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तैः

- (क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹ 7810/- की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ₹234/- की दर से (पे बैन्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और कोई अन्य सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
- (ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।
- (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकिस्मक अवकाश, एक कलैंडर वर्ष में दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए हकदार होगा। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों

तक एक सौ पैंतीस दिन का प्रसूति अवकाश प्रदान किया जाएगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन के प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल०टी०सी० आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किए जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनिधकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य से अनिधकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अविध अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अविध के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- (ङ.) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
- (च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रिजस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी, प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी

प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाएगा।

- (छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।
- (ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे कि एफ0आर0 एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ—साथ ई.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

16 आरक्षणः

सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय— समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अध्यधीन होगी।

17 विभागीय परीक्षा

: लागू नहीं ।

18 शिथिल करने की शक्ति

ः जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

	The state of the s	श <i>ष्ट</i> − I
	लिखित परीक्षा	८५ अंक
1.	िलिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 85 अंको में से परिकलित की जानी है।	
	उदाहरणार्थ लिखित परीक्षा में 50 % अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 42.5 अंक	
	दिए जाएंगे}।	
2.	अभ्यर्थी का मूल्ययांकन निम्नलिखित रीति में किया जाना है:-	15 अंक
	i) भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हेतु वरीयता।	
	2.5 अंक	
	2.3 जनर शिक्षिक अर्हता में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 0.025 से गुणा की जाएगी। उदाहरणार्थ,	
	किसी व्यक्ति ने अपेक्षित शैक्षिक अर्हता में 50 % अंक प्राप्त किए हैं, तो उसे 1.25	
	अंक (50×0.025=1.25) अनुज्ञात किए जाएंगे}	
	ii) यथास्थिति, अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र या पंचायत से संवंधित।	
	01 अक	
	iii) भूमिहीन कुटुम्ब / एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब को संबद्ध राजस्व	
	प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।	
	01 अक	
	iv) इस प्रभाव का गैर—नियोजन प्रमाण पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य	
	सरकारी / अर्ध सरकारी सेवा में नही है।	
	01 अक	
	v) 40 % विकृति / निःशक्तता / दुर्बलता से अधिक वाले दिव्यांगजन।	
	01 अक	
	vi) एन एस एस (कम से कम एक वर्ष) / एन सी सी में प्रमाण–पत्र धारक / भारत स्काउट और गाइड / राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता।	
	स्काउट आर गाइड/ राष्ट्राय स्तर का खल स्पर्धाओं में पदक विजता। 01 अंक	
	णा अक vii) ₹40,000/- से कम या सरकार द्वारा समय—समय पर यथाविहित (समस्त	
	स्रोतो से) वार्षिक आय वाला बी पी एल कुटुम्ब।	
	02 अंक	
	viii) विधवा / तलाकशुदा / अकिंचन / एकल महिला ।	
	01 अंक	
	ix) इकलौती पुत्री / अनाथ	
	०१ अंक	
	x) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से आवेदित पद से संबंधित कम से	
	कम छह मास की अवधि का प्रशिक्षण।	
	01 अंक	
	xii) सरकारी / अर्धसरकारी संगठन में, आवेदित पद से संबंधित, अधिकतम पांच वर्ष	
	तक अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए केवल 0.05 अंक) 2.5 अंक	
	2.5 014/	

परिशिष्ट-"**II**"

लिपिक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) के माध्यम से
निष्पादित की जाने वाली संविदा / करार का प्ररूप।
यह करार श्री / श्रीमतिपुत्र / पुत्री श्रीनिवासीनिवासी,संविदा पर
नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के
मध्य, (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा
गया है) के माध्यम से आज तारीख को किया गया।
द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने (पद का नाम) के
रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमित दी है:—
1. यह कि प्रथम पक्षकार लिपिक के रूप में से प्रारम्भ होने और को
समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह
विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम
पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् अर्थात्
दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :
परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध
विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस
वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत / विस्तारित
की जाएगी।
2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ₹7810 / — प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकिस्मक अवकाश, एक कलैंडर वर्ष में दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए हकदार होगा। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ पैंतीस दिन का प्रसूति अवकाश

होगी।

कार्यपालन / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी

प्रदान किया जाएगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन के प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल०टी०सी० आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

परन्तु अनुपभुक्त आकिस्मक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किए जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा । नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कर्त्तव्य (इ्यूटी) से अनिधकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्तव्य से अनिधकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

5.

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- 6. संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर, जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा।
- 7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रिजस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी की दशा में प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाएगा।

- 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।
- 9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा योजना के साथ—साथ ई.पी.एफ. / जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(Authoritative English Text of the Department Notification No. Per (AP)-C-A (3)-2/2016, dated 24-07-2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh Department of Personnel (AP-III)

No. Per (AP)-C-A (3)-2/2016

Dated: Shimla-171002,

24-07-2017.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Common Recruitment and Promotion Rules for the post of Clerk, Class-III (Non-Gazetted) Ministerial Services in various Departments of the Government of Himachal Pradesh as per **Annexure-"A"** attached to this notification, namely:-

Short title, commencement and application.

- 1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Clerk, Class-III (Non-Gazetted), Ministerial Services, Common Recruitment and Promotion Rules, 2017.
 - (2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
 - (3) These rules shall be applicable to all the Government Departments of Himachal Pradesh, except Vidhan Sabha Secretariat, High Court of H.P. and H.P. Public Service Commission.

Repeal and savings

- 2. (1) The Himachal Pradesh, Department of Personnel, Clerk Class-III (Non-Gazetted), Ministerial Services, Common Recruitment and Promotion Rules, 2014 notified vide this Department Notification No.PER.(AP)-C-A(3)-7/2011, dated 15.05.2014, and published in the Rajpatra of Himachal Pradesh on 29th May, 2014 are hereby repealed.
 - (2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule (1) supra, shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order,

(Tarun Shiridhar)
Addl. Chief Secretary (Personnel) to the
Government of Himachal Pradesh.

Annexure-"A"

Common Recruitment & Promotion Rules for the posts of Clerk, Class-III (Non-Gazetted) Ministerial Services in various Departments of Himachal Pradesh Government

1. Name of Post : Clerk

2. Number of Posts : As sanctioned and may be sanctioned by the

Government from time to time in the concerned

Departments.

3. Classification : Class-III (Non-Gazetted) Ministerial Services.

4. Scale of Pay : (i) Pay Band for regular incumbent(s):

Pay Band- ₹ 5910-20200/- + ₹1900/- Grade Pay

ii) Pay Band after two years of regular service:
Pay Band-₹10300-34800/-+ ₹ 3200/- Grade Pay

iii) Pay Band- ₹10300-34800/- + ₹3600/- Grade Pay to be given to the 50% of the total number of posts of Clerks in the cadre after minimum 5 years of regular service as Clerk in the cadre and the incumbent of these posts shall be designated as

Junior Assistant by placement.

(iv) Emoulments for Contract Employee(s):

₹ 7810/-as per details given in Col. No. 15-A.

5. Whether "Selection" : Non-Selection.

Post or "Non-Selection" Post;

6. Age for direct : Between 18 to 45 years:

recruitment

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such, he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servant before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

Note: Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, as the case may be.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s):

a) <u>ESSENTIAL QUALIFICATION</u>:

- (i) Should have passed 10+2 Examination or its equivalent from a recognized Board of School Education/University.
- (ii) Should possess a minimum speed of 30 words per minute in English typewriting or 25 words per minute in Hindi typewriting on Computer:

Provided that visually impaired persons recruited under 1% quota shall be imparted necessary basic training including computer training by the Department concerned through Composite Regional Centre (CRC), Sundernagar or NIVH, Dehradun or CTC, Ludhiana instead of passing typing test. They shall have to complete the above training during which three chances will be afforded. If the

incumbent fails to qualify the same his /her services shall be terminated. However, the incumbents already in the service shall be afforded sufficient number of chances to complete the aforesaid training.

Provided further that physically handicapped persons who are otherwise qualified to hold clerical post as certified being unable to type, by the Medical Board may be exempted from passing the typing test. The term, physically handicapped persons does not cover those who are visually handicapped or who are hearing handicapped but cover only those whose physical disability/ deformity permanently prevents them from typing.

The above criteria for grant of exemption from passing the typing test shall also be applicable to the Skill Test Norms on Computers.

iii) Should have the knowledge of 'Word Processing' in Computer as prescribed by the Recruiting Authority.

b) DESIRABLE QUALIFICATION (S):

Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification (s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promote(s):

Age: Not Applicable.

Educational Qualifications Yes. As prescribed in Col. No. 7. above & in Column No. 11 below.

- 9. Period of Probation, if any:
- Direct recruitment/Promotion.
- (a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
- (b) No probation in case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.
- 10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods:
- i) 70% by direct recruitment on 'regular' basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.
- 20% by Limited Direct Recruitment from ii) amongst the 'regular' Class-IV officials possessing 10+2qualification, through competitive examination to be conducted by the H.P. Staff Selection Commission, Hamirpur, having five years regular service OR regular combined with continuous service rendered on daily wages or on contract basis, failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.
- iii) 10% by promotion failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be:

- 11. In case of recruitment by promotion/
 secondment/transfer,
 grades from which
 promotion/secondmen/
 transfer is to be made:
- i) 20% by limited direct recruitment from amongst the 'regular' Class-IV officials possessing 10+2 qualification through competitive examination to be conducted by the Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur, having five years regular service OR regular combined with continuous service rendered on daily wages or on contract basis. The eligible Class-IV officials will also qualify the typing test with the minimum speed of 25 words per minute in English Typewriting OR 20 words per minute in Hindi Typewriting on Computer to be conducted by the Staff Selection Commission, Hamirpur.
- ii) 10% by promotion from amongst the Class-IV officials who have passed 10+2 examination or its equivalent from a recognized Board of School Education/ University and possess five years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade:

Provided that such Class-IV officials having qualification of Matric or its equivalent, shall not be rendered ineligible for promotion to the post of Clerk against 10% quota, who were in the cadre of Class-IV after attaining the age of 50 years:

Provided further that all the Class-IV officials so promoted as Clerks will qualify the typing test with a minimum speed of 25 words per minute in English Typewriting or 20 words per minute in Hindi Typewriting on computer within the probation period which will be conducted by the concerned Departments and the incumbents will get three chances during the probation period. If the candidate fails to qualify the typing test within the prescribed period, his probation period will be extended. During this period the incumbents will get one more chance. If the candidate

still fails to qualify the typing test in the extended period, he will be reverted from Clerk to Class-IV post.

For the purpose of promotion a combined seniority of eligible Class-IV officials on the basis of length of service without disturbing their cadre wise inter-se-seniority shall be prescribed.

Provided that for filling up the posts of Clerk the following 10 points recruitment roster shall be followed:-

Roster Point No.	Category
1 st , 2 nd , 3 rd , 4 th , 6 th , 7 th , & 8 th	Direct recruit
5 th & 10 th	Limited Direct recruit
9 th	Promotee

Note:- The roster will be rotated after every 10 points till the prescribed percentage is achieved where after the point vacated will be filled up from the respective category to which the point belongs.

(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult/ Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation except posting/transfer in remote/rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion:

Provided further that Officer/Official who has not served atleast one tenure in Tribal/ Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I:- For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult/Hard area/remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/convenience.

Explanation II:- For the purpose of proviso (I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:-

- 1. District Lahaul & Spiti.
- 2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.

- 3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division.
- 4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram panchayat Kashapat of Rampur Tehsil of District Shimla.
- 5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
- 6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
- 7. District Kinnaur.
- 8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
- 9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

Explanation III: For the purpose of proviso (I) supra the Remote/ Rural Areas shall be as under:

- i) All statitions beyond the radius of 20 Kms. from Sub Division/Tehsil headquarter.
- ii) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District head quarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3 (three) Kms.
- iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category.
- (II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:
- (i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation:- The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition:

<u>Departmental Promotion/ConfirmationCommittee</u>:

As may be constituted by the Govt. from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradedh Public Service Commission (H.P.P.S.C.) is to be consulted in making recruitment:

As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment:

A candidate for appointment to any service or post must be a Citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment:

Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in **Appendix-I** appended to these rules, or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority, as the case may be, so considers necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in **Appendix-I** appended to these Rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test or physical test, the standard/ syllabus, etc. of which, will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission/other recruiting agency/authority, as the case may be.

15-A <u>Selection for appointment to the post by contract appointment:</u>

Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-

(I) CONCEPT:

(a) Under this policy the Clerk in the Department_____(Name of the Department) H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed /extended.

(b) The HOD (Designation of the appointing authority) after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency/Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS

The Clerk appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ₹7810/-P.M (which shall be equal to minimum of the pay band+grade pay). An amount of ₹ 234/-(3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(III) <u>APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY</u>

The Head of the Department (Designation of the appointing authority) will be the appointing & disciplinary authority.

(IV) <u>SELECTION PROCESS:</u>

Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if considered necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test or physical test, the standard/ syllabus, etc. of which, will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission Hamirpur.

(V) <u>COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL</u> APPOINTMENTS:

As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur, from time to time.

(VI) **AGREEMENT**:

After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Appendix-"II" appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:

- (a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ₹ 7810/- P.M (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ₹234/-(3% of minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.
- (b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
- after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 135 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the

Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

- (e) An official appointed on contract basis who has completed three years' tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
- (f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks' will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate shall be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.
- (g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter part official at the minimum of pay scale.
- (h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Schame as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

16 Reservation:

The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17 Departmental Examination:

Not Applicable.

18 Power to Relax:

Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P. Public Service Commission, relax any of the provision (s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post (s).

A	PPENDIX-I
1. WRITTEN TEST {Percentage of marks obtained in written examination to be calculated out of 85 marks. For example, a candidate getting 50% marks in written examination will be given 42.5 marks}.	85 marks
calculated out of 85 marks. For example, a candidate getting 50% marks in written examination will be given 42.5 marks}. 2. Evaluation of candidate to be made in the following manner:- i) Weightage for the minimum educational qualification, prescribed in the Recruitment & Promotion Rules. =2.5 Marks {Percentage of marks obtained in the educational qualification would be multiplied by 0.025. For example, an individual has secured 50% marks in the required educational qualification, he/she will be allowed 1.25 marks (50x0.025=1.25)} ii) Belonging to notified Backward Area or Panchayat, as the case may be. =01 Mark iii) Land less family/family having land less than 1 Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority. =01 Mark iv) Non-employment Certificate to the effect that none of the family members is in Government/Semi-Government service. =01 Mark v) Differently abled persons with more than 40% impairment/disability/infirmity. =01 Mark vi) NSS (alteast one year)/certificate holders in NCC/ The Bharat Scout and Guide/Medal winner in National Level sports	15 marks
competitions. =01 Mark vii) BPL family having annual income (from all sources) below ₹40,000/-or as prescribed by the Govt. from time to time. =02 Marks viii) Widow/divorced/destitute/single woman. =01 Mark ix) Single daughter/Orphan =01 Mark x) Training of atleast 6 months duration related to the post applied for from a recognized University/ Institution. =01 Mark xi) Experience upto a maximum of 5 years in Govt./Semi-Govt. Organization relating to the post applied for (0.5 marks only for each completed year) =2.5 Marks	

APPENDIX-"II"

Form of contract/agreement to be executed between the Clerk and the Government of
Himachal Pradesh through (Designation of the Appointing Authority).
This agreement is made on thisday ofin the
year BetweenSh./SmtS/o/D/o
Shri R/o
Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh
through (Designation of the Appointing Authority) Himachal Pradesh (here-in-
after referred to as the SECOND PARY).
Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY
has agreed to serve as a (Name of the post) on contract basis on the following terms & conditions:-
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a
year and only then the period of contract is to be renewed/extended.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be ₹ 7810/- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable
to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found

satisfactory.

4. The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 135 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

- 6. An official appointed on contract basis who has completed three year's tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
- 7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8.	Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with
	his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the
	minimum of pay scale.
9.	The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to

contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

1.	IN THE PRESENCE OF WITNESS:	
	(Name and Full Address)	(Signature of the FIRST PARTY)
2.		
-	(Name and Full Address)	

(Signature of the SECOND PARTY)
